

राजस्थान सरकार  
पशुपालन विभाग

क्रमांक:-प. 12(27)पपा/2012 पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 20 FEB 2020

-:आदेश:-

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा अनुशंषा एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 495/2020, एस.एल.पी (सी) नं. 5341/2018 तथा अन्य संबंधित याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2020 की पालना के क्रम में माननीय राज्यपाल महोदय निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर (Pay Matrix Level-14) वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15 (1)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरो पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration ) रूपये 39300/-प्रति माह की दर पर अस्थाई रूप से 2 वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित पशु चिकित्सालयों में एतद्वारा किये जाते हैं:-


| क्र.सं. | मेरिट संख्या | रोल नंबर | अभ्यर्थी का नाम            | जन्म दिनांक | वर्ग | पदस्थापन स्थान                     |
|---------|--------------|----------|----------------------------|-------------|------|------------------------------------|
| 1. *    | 210          | 100823   | डॉ० अरविन्द सिंह           | 01-11-1987  | BC   | पशु चिकित्सालय अस्तावन, भरतपुर।    |
| 2. *    | 232          | 100761   | डॉ० नटवर सिंह सिनसिनवार    | 29.03.1990  | BC   | पशु चिकित्सालय, ककड़ा भरतपुर       |
| 3.      | 256          | 100083   | डॉ० महिपाल काजला           | 10-07-1984  | BC   | पशु चिकित्सालय, छाजाकीनागल, सीकर   |
| 4.      | 258          | 100570   | डॉ० बलदेव राम जाट          | 08-05-1985  | BC   | पशु चिकित्सालय, सांवलता कलों, पाली |
| 5       | R-12         | 100877   | डॉ० अमित सांगवान           | 05-04-1990  | GE   | पशु चिकित्सालय, खीया जैसलमेर       |
| 6       | R-13         | 100416   | डॉ० अभय कुमार उपाध्याय     | 11-07-1990  | GE   | पशु चिकित्सालय, मोठपुर, बांरा      |
| 7       | R-14         | 100550   | डॉ० निशान्त गौड़           | 23-07-1991  | GE   | पशु चिकित्सालय, छजावा, बांरा       |
| 8       | R-15         | 100359   | डॉ० चन्द्रेश गेरा          | 09-05-1976  | GE   | ब.उ.पशु चिकित्सालय, जालौर          |
| 9       | R-16         | 100222   | डॉ० पंकज मिश्रा            | 07-07-1981  | GE   | पशु चिकित्सालय, भूकरका हनुमानगढ़   |
| 10      | R-17         | 100413   | डॉ० जितेन्द्र कुमार शर्मा  | 27-09-1981  | GE   | पशु चिकित्सालय, नोसरा जालौर        |
| 11      | R-18         | 100844   | डॉ० रंजन शर्मा             | 08-03-1983  | GE   | पशु चिकित्सालय, माईकलां कोटा       |
| 12      | R-19         | 100555   | डॉ० अजय सिंह               | 21-01-1984  | GE   | पशु चिकित्सालय, आकोडिया, अजमेर     |
| 13      | R-50         | 100840   | डॉ० देवेन्द्र कुमार गोदारा | 03-12-1985  | BC   | पशु चिकित्सालय, रैण नागौर          |
| 14      | R-52         | 100526   | डॉ० पवन कुमार              | 01-01-1986  | BC   | पशु चिकित्सालय, भावठडी, झुन्झुनू   |
| 15      | R-53         | 100131   | डॉ० पंकज गोस्वामी          | 07-07-1986  | BC   | पशु चिकित्सालय, रामा जालौर         |
| 16      | R-54         | 100577   | डॉ० जितेन्द्र यादव         | 13-07-1986  | BC   | ब.उ.पशु चिकित्सालय सिराही          |
| 17      | R-55         | 100485   | डॉ० अयुब मोहम्मद           | 15-05-1987  | BC   | पशु चिकित्सालय, लाखलाण चुरू        |
| 18      | R-58         | 100376   | डॉ० ललित कुमार यादव        | 05-07-1987  | BC   | पशु चिकित्सालय, जयसिंहपुरा जयपुर।  |
| 19      | R-59         | 100576   | डॉ० जितेन्द्र कुमार        | 20-07-1987  | BC   | पशु चिकित्सालय, तिलवाडा बाडमेर     |
| 20      | R-62         | 100686   | डॉ० योगेश आर्य             | 19-09-1987  | BC   | पशु चिकित्सालय बाधसरा आथुना, चुरू  |
| 21      | R-65         | 100243   | डॉ० मुकेश कुमार माली       | 20-05-1988  | BC   | पशु चिकित्सालय, खरदेवला वित्तौडगढ़ |
| 22      | R-66         | 100074   | डॉ० हितेश कुमार            | 10-12-1988  | BC   | पशु चिकित्सालय, नयाबास सीकर        |
| 23      | R-68         | 100015   | डॉ० कमल चन्द               | 06-06-1989  | BC   | पशु चिकित्सालय, डूंगरवास सीकर      |
| 24      | R-69         | 100735   | डॉ० मुकेश कुमार खेदर       | 07-07-1989  | BC   | पशु चिकित्सालय, सेवडा बीकानेर।     |

उक्त नियुक्तियां निम्नांकित शर्तों के अधीन की जा रही हैं-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।
2. कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र एफ.1(5) कार्मिक क-2/2018 दिनांक 15.05.2018 में निहित प्रावधानों अनुसार अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व निर्धारित Attestation Form तथा Self Declaration प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी के पुलिस विभाग के रिकार्ड के अनुसार चरित्र सत्यापन नहीं होने अथवा Self Declaration में गलत सूचना दिये जाने की स्थिति में इस अस्थायी नियुक्ति आदेश को तत्काल निरस्त किया जाकर आपराधिक/कानूनी कार्यवाही की जावेगी। नियंत्रण अधिकारी संबंधित अभ्यर्थी से पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र छः माह के अन्दर प्राप्त कर मय टिप्पणी निदेशक, पशुपालन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
3. इन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि वे ही है, जो इन्होंने परीक्षा के अपने आवेदन पत्रों के प्रारूपों उल्लेखित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
4. उक्त नियुक्तियां नियमों के पद्धति एवं प्रावधानों और राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार की जा रही है।


5. ये नियुक्तियों कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या 8 (1)कार्मिक-2/2003 दिनांक 09.06.2003 वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 13 (1)वित्त (नियम)/07, दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेन्डम क्रमांक 13 (1)वित्त (नियम)/03, दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5)वित्त(नियम)2004,दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।
6. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सूविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर लागू होगी।
7. विवाहित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे एवं दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न होने संबंधित रू. 50 /रूपये क नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
8. अभ्यर्थियों द्वारा आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में कार्यग्रहण किया जावेगा। उक्त अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।
9. अभ्यर्थियों को पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुज्ञेय नहीं है।
10. \* मेरिट क्रम संख्या 210 व 232 पर पर चयनित डॉ० अरविन्द सिंह व डॉ० नटवर सिंह सिनसिनवार से अन्य पिछडा जाति वर्ग का नविनतम जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवाया जावे एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी उक्त प्रमाण पत्रों को अधोहस्ताक्षर कर्ता का भिजवाना सूनिश्चत करें।
11. यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. नं. 151500422 दिनांक 30.03.2015 एवं कार्मिक विभाग आई.डी.नं. 358/डीओपी/ए-2/2015 दिनांक 06.05.2015 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।
12. यह नियुक्तियों सेवा नियमों के अध्याधीन निबन्धकों एवं शर्तों के या सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों तथा के तहत प्रदान की जा रही है तथा **These Appointments are subject to the decisions of various writ petitions Pending before Hon'ble Courts (If any).**

आज्ञा से,

  
(डॉ० वीरेन्द्र सिंह)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव,माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, राजस्थान, जयपुर
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव,पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. महालेखाकार , राजस्थान जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(25)भर्ती/गोपनीय /2012-13/440 दिनांक 25.01.2018 एवं 444 दिनांक 25.01.2018 के संदर्भ में।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव वित्त(व्यय-1) विभाग
9. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर/संबंधित अतिरिक्त निदेशक/संबंधित संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक पशुपालन विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करने के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर ले एवं शैक्षणिक योग्यता, दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र, संबंधित श्रेणी के प्रमाण पत्र, एवं मूल दस्तावेजों से आवश्यक रूप से मिलान कर एक प्रति प्राप्त कर लें।
10. संबंधित अभ्यर्थी डॉ.....
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव